अपील

मुख्य मंत्री राहतकोष से गंभीर बीमारी से पीड़ित गरीब व्यक्तियों के उपचार, आपदा से हुए नुकसान में राहत, कमाने वाले सदस्य की मृत्योपरान्त बेसहारा परिवार, गरीब परिवारों के मेधावी छात्रों की व्यवसायिक शिक्षा एवं गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

मुख्य मंत्री राहत कोष एक ऐसा महायज्ञ है जो केवल और केवल जनता की सहभागिता पर ही निर्भर करता है। इस राहत कोष में दिया गया अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80–जी के अन्तर्गत पूर्णतः आयकर मुक्त है । अतः अंशदान दी गई कोई भी राशि अंशदाता के आयकर में से शत प्रतिशत घटा दिये जाने का प्रावधान है ।

गरीबों एवं असहायों की आर्थिक सहायता के इस पुनीत कार्य को अनवरत जारी रखने हेतु 13 मार्च 2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विधान सभा में सत्र के दौरान हिमाचल के सभी माननीय मंत्रियों, सांसदों एवं विधायकों से विशेष अनुरोध किया है कि वे अपने एक माह के वेतन को तथा राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों (श्रेणी – I से श्रेणी– III तक) से भी अपने एक दिन के वेतन को मुख्य मंत्री राहत कोष में दान करने का आहवान किया है। इस कोष में दान ऑनलाईन व नगद किया जा सकता है । मुख्य मंत्री राहत कोष के बैंक खातों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

HP State Cooperative Bank Chhota Shimla
A/C No: 4060100315 IFSC code: HPSC0000406

H.D.F.C. Bank, Chhota Shimla
A/c No: 50200044568563 IFSC code: HDFC0004116

अंशदान निचे दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन भी किया जा सकता है:-

www.himachal.nic.in/CMRF

अतः आपसे अनुरोध है कि मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान दे ताकि समय पर जरूरतमंदों की सेवा/सहायता का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके ।

सचिव(सामान्य प्रशासन विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

नस्ति संख्या:जी.ए.डी-बी(सी)4-1/2013 **शिमला-2 दिनांक 19.03.2020**

1. **समस्त मंत्रीगंण,सांसद, विधायक हिमाचल प्रदेश**
2. **समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश**
3. **समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश**
4. **समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश**

Directorate of Higher Education
Himachal Pradesh – 171001

Endst No. EDN-HE(PS/DHE)01-2020-Misc-9 3rd April, 2020

Copy warded for information and necessary action to :

1. The Principal Secretary (Edu) to the Government of H.P.
2. The Secretary (GAD) to the Government of H.P.
3. The Addl. Director of Hr. Education (Admin/College), Himachal Pradesh.
4. The Joint Director of Hr. Education (College/School), Himachal Pradesh.
5. The Joint Controller (F&A), Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh.
6. OSD 9Colleges/Sanskrit), Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh.
7. All the Principal, Government Degree/Sanskrit Colleges of H.P.
8. All the Dy. DHEs (Hr.Edu./Inspections) of Himachal Pradesh for necessary action in the matter accordingly.
9. All the Assistant Directors, Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh.
10. DDO, Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh.
11. All the Controlling Officers of NCC HQ/BN
12. The Chief Libraries, Central State Library, Solan, H.P.
13. All the Controlling Officers of District/Tehsil/Tribal Libraries
14. All the Principal, Govt. Sr. Sec. Schools of H.P.
15. All the Headmaster, Govt. High Schools of H.P.
16. Technical Officer (IT) to upload on departmental website,

(Dr. Amarjeet K. Sharma)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh